-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 08.04.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2022 में थाना बदौसा क्षेत्र में नाबालिग के साथ सामुहिक दुष्कर्म करने के मामलें में 03 अभियुक्तों मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 85 हजार 500 रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2022 में थाना बदौसा क्षेत्र अन्तर्गत नाबालिक के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामलें में 03 अभियुक्तों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 10.10.2022 को थाना बदौसा क्षेत्रान्तर्गत एक गांव के रहने वाले व्यक्ति नें अपनी नाबालिग पुत्री के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने तथा वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म करने के मामलें में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बदौसा पर प्रार्थना पत्र दिया था जिसके सम्बन्ध में थाना बदौसा में मु0अ0सं0 134/22 धारा 363/376/D/328/341/507 भादवि, 5/6 पॉक्सो एक्ट तथा 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना निरीक्षक श्री राकेश कुमार सरोज द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री कमल सिंह गौतम द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी दीपक कुमार तथा पैरोकार आरक्षी राहुल के अथक प्रयासों से तीनों अभियुक्तो को मा0 न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट बांदा द्वारा 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 85 हजार 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **सतेन्द्र त्रिपाठी पुत्र कमलाकान्त निवासी पौहार थाना बदौसा जनपद बांदा।**
2. **शिओम उर्फ शिवम पुत्र मदनगोपाल निवासी भुसासी थाना बदौसा जनपद बांदा।**
3. **अंकित पाल पुत्र बलराम निवासी रसिन का पुरवा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट।**

अभियोजक
श्री कमल सिंह गौतम

विवेचक
नि0 श्री राकेश कुमार सरोज

कोर्ट मोहर्रिर
आ0 दीपक कुमार

पैरोकार
आ0 राहुल